



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क./शिक्षा/स्था./1/2014-15/ 16541

कोरबा दिनांक 29.11.2014

आदेश

नगरीय निकायों में प्रचलित शिक्षक (नगरीय निकाय) भर्ती प्रक्रिया के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2013 में प्रावधानित नियमों (संशोधन सहित) के अधीन छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 तथा छ.ग. सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 2008 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त पत्र क्र. /शिक्षा/स्था.-दो/2010/1055 कोरबा दिनांक 25.01.2011 एवं पत्र क्र. 1163 दिनांक 02.06.2011 द्वारा उपलब्ध सीधी भर्ती के स्वीकृत पद अंतर्गत व्याख्याता के पद पर वेतनमान 5300-150-8300 में निम्नानुसार प्रतिक्षा सूची से अधिमान्य क्रम में विषयवार चयन किया जाकर नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	पंजीयन क्र.	विषय	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम
1	2	5	3	4
1	16	गणित	अनिल इंग्ले	बसंत राव इंग्ले
2	72	गणित	अजय प्रकाश जायसवाल	बावनदास जायसवाल
3	79	जीव विज्ञान	अनुपम कुमार कुशावाहा	बसंत कुमार
4	280	संस्कृत	आरती वर्मा	श्री ब्रज भूषण लाल वर्मा
5	276	संस्कृत	ममता माणि	श्री हितेन्द्र चौधरी
6	97	संस्कृत	संध्या पशीने	रूपेश कुमार
7	212	संस्कृत	अश्वनी कुमार महिपाल	मनहरण लाल महिपाल
8	263	हिन्दी	सुमन पाण्डेय	रमाशंकर पाण्डेय
9	282	हिन्दी	व्ही. विजेयता	व्ही. सतीश कुमार
10	751	हिन्दी	जयपाल सिंह कंवर	पीला सिंह
11	61	अंग्रेजी	सुजाता चौबे	विनोद कुमार
12	68	अंग्रेजी	जय गणेश राठौर	मुकुंद नाथ
13	26	अंग्रेजी	ललिता पटेल	उग्रसेन
14	42	भौतिक	भागवत प्रसाद पटेल	श्री मनीराम पटेल

- यह नियुक्ति आदेश पूर्णतः अस्थायी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्त व्याख्याता कार्यालय साकेत भवन, नगर पालिक निगम कोरबा में दिनांक 29.11.2014 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक निकाय में उपस्थित होने पर प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन पश्चात कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा। प्रमाण पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पृथक से आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात् नियत दिनांक 29.11.2014 को दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाने पर प्रतीक्षा सूची के अधिमान्य क्रम के अभ्यर्थी का चयन करते हुए आदेश जारी किया जावेगा।
- व्याख्याता यथा स्थिति नगर पालिक निगम कोरबा के प्रशासकीय नियंत्रण छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 1956 की धारा 58 के अधीन निर्धारित सेवा शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अधीन रहेंगे तथा आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा इसके लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
- ऐसे व्याख्याता जो स्थाई सेवा में न हो, सेवाएं या तो व्याख्याता द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता को लिखित में 01 माह की सूचना देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जाने के दायित्वधिन होगी।
- व्याख्याता के उपर वर्णित शर्तों से भिन्न सेवा की अन्य शर्तें यथा स्थिति नगर पालिक निगम कोरबा में नियुक्त अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में स्टाम पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

7. नियुक्त किये गये व्याख्याता के प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन पश्चात ही कार्यभार ग्रहण कराया जाना है। अतः अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी सत्यापित छाया प्रतियां कार्यालयीन अभिलेख हेतु जमा करना होगा।
1. हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी/स्नातक/स्नात्कोत्तर की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
 2. शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र।
 3. प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।
 4. जाति एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र।
 5. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया भैषजिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति (पदस्थापना आदेश के पश्चात)।
 6. आचरण एवं व्यक्तित्व के संबंध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (पदस्थापना आदेश के पश्चात)।
8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात् प्रमाण पत्र सही पाये जाने की स्थिति में कार्य भार ग्रहण हेतु पृथक से पद स्थापना आदेश जारी किया जावेगा। आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निर्धारित शाला में कार्य भार ग्रहण करना होगा।
9. नियुक्त व्याख्याता को छ.ग. शासन एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा छ.ग. शिक्षक (नगरीय निकाय) सवंग (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम 2013 के शर्तों का पालन बंधनकारी होगा।
10. इनकी चाल चलन के संबंध में पुलिस विभाग से जांच कराई जावेगी एवं जांच रिपोर्ट विपरीत आने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।



आयुक्त

नगर पालिक निगम

कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनांक 20/11/2014

पृष्ठा.क्र./शिक्षा/स्था./एक/2013-14

16541
16542


प्रतिलिपि :-

संबंधित कु./श्री/श्रीमती पिता/पति

..... पता -

..... जिला- (छ.ग.)

को सूचनार्थ। आप उल्लेखित तिथि को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।




आयुक्त

नगर पालिक निगम

कोरबा (छ.ग.)